


FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

मुन्नालाल बनाम अ.रा.रा.लाल

कस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 08/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>07/01/22</p> <p>2022 19</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>मुन्नालाल</u></p> <p>पिता श्री <u>रामलाल दोली</u></p> <p>निवासी- <u>धरियावली</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>धरियावली</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>2697</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> कुल रकबा <u>1.3100</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>धरियावली</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>2697</u></p> <p>कुल कीता <u>1</u> रकबा <u>1.3100</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000=100</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार रुपय</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">(सुनाम सुन्दर विश्वा) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> <div style="text-align: right;">  </div>

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

मांक / सरिश्ता / प्रा.पत्र 08 / 2022 / 09

दिनांक 10/01/22

तहसीलदार
चित्तौड़गढ़

विषय : पत्थरगढ़ी करने के सम्बन्ध में।

प्रकरण : मुन्नालाल पिता रामलाल देवी निवासी धरियावली
— प्रार्थी

- कमाल
- 1- अजयलाल - देवीलाल पिता बोटलाल धाकड़ निवासी धरियावली खेडा, धरियावली
 - 3- श्री प्रभुलाल शोभोलाल धाकड़ P10 धरियावली खेडा
 - 4-5 काशीराम - बोटलाल पिता रामचन्द्र धाकड़ निवासी धरियावली खेडा, धरियावली
 - 6- डा.मचन्द्र पिता मांगीलाल धाकड़ P10 धरियावली, धरियावली खेडा
 - 7- किशन पिता गोकल आम्बी P10 धरियावली खेडा, धरियावली
 - 8-9 मांगीलाल - गणेश पिता खेमराज आम्बी
 - 10- धाकड़ पत्नी खेमराज आम्बी निवासिमान धरियावली खेडा, धरियावली
 - 11- मन्जु देवी मन्जु देवी पत्नी धीरुजी पुत्री खेमराज आम्बी निवासी धरियावली

प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट ... शेषनाम नीचे अंकित है

उपरोक्त विषयाकित अनवान के प्रकरण में ग्राम धरियावली खतौनी सं. 619
सम्बत् 2067-2070 में अकित आराजी नम्बर 2697
..... कुल किता 1 रकबा 1.3100 है. भूमि की
नियमानुसार मौके पर विवाद रहित पाये जाने पर कब्जे में दखलन्दाजी किये बिना
पक्षकारों को सूचना देकर सीमाकन (पत्थरगढ़ी) कर दिया जावे। खर्चा कमिश्नर
शुल्क रुपये 1000000 अक्षरे एक हजार रुपय मात्र प्रार्थी
वहन करेगें। पालना रिपोर्ट न्यायालय में (15 दिवस में) शीघ्र भिजावे।

12- शक्ती पत्नी उदयराज आम्बी पुत्री खेमराज उपखण्ड अधिकारी
आम्बी P10 निवासी धरियावली
13- अजयलाल शोभोलाल धाकड़ निवासी धरियावली खेडा, धरियावली
विपक्षीय

(राम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
(सि.)